

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

रजामु

बनाम

सैठ डी हंडर

किस्म मुकदमा

इजराय

नं.

16

सन्

2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
22-12-20	<p>चादी वकील श्री आदित्य प्रताप सिंह नरुका एड ने उपस्थित होकर इजराय पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्ट्र की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-12-20 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दराभद करने हेतु (मई प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का रणगत आदेश नही हो भी) सहमीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पतावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 27-1-21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(12)</p>	
23-1-21	<p>पतावली तारीख पेशी से गिरकर पेश हुई। प्रकरण में राजकीय पैरोकार आपस सहमीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत करवाया कि न्यायालय द्वारा जारी डिक्री व निर्णय की पालना जरिये न्यायान्तकरण संख्या 545 दिनांक 08-06-2021 के द्वारा की जा चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः पतावली को इसी स्तर पर कैमल शुमार की जाती है। पतावली कैमल शुमार होकर बाद तफमील दरखिल दफत हो।</p> <p style="text-align: center;">(राजेश कान्त गुप्ता) RAS सहायक कलक्टर (F.T.) श्रीमाधोपुर</p>	<p>उपरोक्त इजराय आदेश की पालना में नामा सं- 545/दि- 08.06.2021 दर्ज का अमल दराभद किया गया।</p> <p>18.06.2021</p> <p>सैठ डी हंडर श्रीमाधोपुर</p>